म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन,भोपाल.

क्रमांक—बी—6 / नियमन / दलहन / पार्ट—32 / 4667 भोपाल,दिनांकः—04 / 09 / 2015

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपससंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त)

विषयः—प्रदेश में आयातीत दलहन के संदर्भ में ।

राज्य शासन के द्वारा उपरोक्त विषय संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्राप्त हुए हैं:—

1— सभी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी कृषि उपज मंडी में सभी अधिसूचित कृषि उपज के साथ ही दलहन फसलों की आवक का समुचित रिकार्ड संधारित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि मंडी फीस अपवंचन की शिकायतों की अविलंब विधिवत् जांच कर यथोचित वैधानिक कार्यवाही हो।

2— राज्य के बाहर से, विदेशों से आयातीत दलहन पर प्रदान की गयी मंडी फीस से छूट के संदर्भ में "आयात" होने की पुष्टि करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण मंडी समिति के सचिव द्वारा अवश्य किया जाये और इसका रिकार्ड मंडी में संधारित किया जाये।

उपरोक्त कार्यवाही सतत् है, अतः इसका समय—समय पर मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण आंचलिक कार्यालय द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये।

<u>प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

(ए.पी.एस. सोलंकी)
अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

कमांक—बी—6 / नियमन / दलहन / पार्ट—32 / 4668 भोपाल,दिनांकः— 04 / 09 / 2015

प्रतिलिपिः—

1— निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग प्रमुख सचिव महोदय की नोटशीट दिनांक 26.08.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2— सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल.